निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–05 / 2022
दायरा दिनांक :–22.06.2022
निर्णय दिनांक :–09.01.2023

उनवान

1. लालचन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति तेली निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील बारां जिला बारां
2. श्यामसुन्दरपुत्र श्री ओमप्रकाश जाति तेली निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील बारां जिला बारां

–अपीलान्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत बैगना तहसील बारां जिला बारां राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री शंकर लाल जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा हाल निवासी बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 8 छबडा जिला बारां
3. दीपकपुत्र श्री शंकर लाल जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा हाल निवासी बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 8 छबडा जिला बारां
4. शीला बाई पत्नी श्री शंकर लाल जाति मेघवाल निवासी श्यामपुरा हाल निवासी बाहरी दरवाजा वार्ड नं0 8 छबडा जिला बारां
5. भावना पुत्री श्री शंकर लाल पत्नी श्री ज्योतिप्रकाश जाति मेघवाल निवासी छबडा हाल निवासी काकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां
6. लक्ष्मी पुत्री श्री शंकर लाल पत्नी नितेश जाति मेघवाल निवासी छबडा हाल निवासी गली नं0 3 नन्दा नगर इन्दौर मध्यप्रदेश
7. सीमा पुत्र श्री शंकर लाल पत्नी श्री धनराज सिहं जाति मेघवाल निवासी छबडा हाल निवासी सिटी पुलिस लाईन कोटा जिला बारां जिला कोटा
8. सुशीला बाई पत्नी श्री रामसागर जाति मेघवाल निवासी ग्राम फूंसरा तहसील बारां जिला बारां

–रेस्पोडेन्टस

अपील इन्तकाल नं0 671 दिनांक 09.03.2022

निर्णय दिनांक:–09.01.2023

उपस्थित अभिभाषक:–1. श्री तेजकुमार मीणा एड0 –अपीलांट
[illegible]0 एल0 जैन एड0 –रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा [illegible] नं0 671 विरूद्ध रेस्पो0 के न्यायालय में इस आशय की पेश की गई कि आरा[illegible]ात साबिक खसरा नं0 [illegible] / 340

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 310 रकबा 1.10 हे0 वाके ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का बैगना तहसील बारां में स्थित है। जो अपील की विषय वस्तु है। अपीलान्ट के पिता श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपी लाल जाति तेली निवासी श्यामपुरा ने अपील मद नं0 1 में अंकित आराजी के खातेदार श्री बनवारी पुत्र श्री जगन्नाथ, हजारा पुत्र श्री भंवरया उर्फ कंवरया, गेन्दी बेवा श्री भंवरया उर्फ कवंरया के शामलाती खातेदारी की आराजियात को दिनांक 27.02.1969 को जर्ये बिल एवज 800/– रूपये जरिये रजिस्टर्ड विक्रय खरीद किया था। परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्टस के पिता श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपी लाल जाति तेली निवासी श्यामपुरा तहसील बारां के नाम इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खातेदारी की आराजियात को स्वर्ण जाति के खाते दर्ज न करने के आदेश आ जाने के कारण इन्तकाल तस्दीक नहीं हो सका। यह कि अपीलान्टगण के पिता का दिनांक 27.02.1996 से पूर्व ही उक्त वर्णित आराजियात पर कब्जा चला आ रहा था। परन्तु अपीलान्टस के पिता ओमप्रकाश की मृत्यु दिनांक 06.09.1976 को हो जाने के कारण अपीलान्टगण उस समय नाबालिग थे। इसलिये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। परन्तु अपीलान्टस का उक्त विवादित आराजियात बदस्तूर कब्जा काश्त आज भी अपीलान्टस का बिना किसी बाधा के चला आ रहा है।

रेस्पो0 2 ता 7 बनवारी लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मेघवाल के वारिसान बनकर इन्तकाल नं0 671 दिनांक 09.03.2022 गलत रूप से तस्दीक करवाया है। क्योंकि पुराने खसरा नं0 208/340 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा रेस्पो0 के दादा व हजारा गेन्दी बाई के शामलाती खाते की थी। परन्तु रेस्पो0 केवल आराजी खसरा नं0 310 रकबा 1.10 हे0 को अपने कब्जे काश्त में बताकर अपने नाम फर्जी तरीके से इन्तकाल तस्दीक करवाया है। जबकि रेस्पो0 का उक्त विवादित आराजियात में हिस्सा 1/3 निहित था। जिसको रेस्पो0 के दादा बनवारी लाल ने अपीलान्टस के पिता को बैचान कर दिया था। परन्तु रेस्पो0 क्रमांक 2 ता 7 द्वारा रेस्पो0 क्रमांक 8 को खसरा नं0 310 रकबा 1.10 हे0 उक्त आराजी पर अपना कब्जा बताकर गलत तरीके से बैचान कर दिया है। जबकि रेस्पो0 क्रमांक 2 ता 7 का उक्त आराजियात पर ना तो अपने दादा व ना अपने पिता शंकर लाल कब्जा काश्त रहा है। इन्तकाल तस्दीक करवाते समय उक्त तथ्यो को छिपाकर गलत तरीके से इन्तकाल तस्दीक करवाया है। उक्त आराजियात का फर्जी तरीके से इन्तकाल तस्दीक करवाया गया है। जो खारिज किये जा[illegible] है। नामान्तकरण सं0 671 दिनांक 09.03.2022 कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible] 05.04.2022 को नामान्तकरण सं0 671 को तस्दीक करने से पूर्व क[illegible]दित हमें बताया था, परन्तु हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर यह इन्तक[illegible] फर्जी तरीके से तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से नाम दर्ज करवाये है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

किये गये इन्तकाल सं0 671 दिनांक 09.03.2022 को निरस्त किया जाना विधि संगत एंव न्यायहित में होगा। अपीलान्टस को उक्त इन्तकाल सं0 671 दिनांक 09.03.2022 की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.06.2022 को कहने पर हुयी। उसी रोज अपीलान्टस ने इन्तकाल नकल हेतू आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 20.06.2022 को प्राप्त हुयी। इसलिए इन्तकाल आदेश दिनांक 20.12.2021 से जानकारी दिनांक 15.06.2022 तक का समय अपील की अवधि में से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश है तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजि0 कर रेस्पो0 को जर्ये सम्मन किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 के नोटिस बाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उप0 नहीं है। उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। रेस्पो0 क्रम 2 ता 7 की ओर से बाबूलाल जैन एड0 का वकालतनामा पेश हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामा0 सं0 671 दिनांक 09.03.22 ग्राम श्यामपुरा, नकल जमाबन्दी ग्राम श्यामपुरा सम्वत् 2071–74 खाता सं0 180, फोटो प्रति विक्रय पत्र 27.02.69, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र ओमप्रकाश, मृत्यु प्रमाण पत्र कमला, नकल विक्रय पत्र ओमप्रकाश, दीपक, शीलाबाई, भावना, लक्ष्मी द्वारा सुशीला बाई को दिनांक 07.02.22 से बेचान किया गया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील बारां में स्थित है। अपीलान्ट के पिता श्री ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल जाति तेली द्वारा विवादित आराजी खातेदार बनवारी, हजारा, गेन्दी के शामलाती खातेदारी की आराजी दिनांक 27.02.69 को 800/– में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय खरीद किया था। परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पिता के नाम इन्तकाल तस्दीक नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खातेदारी की आराजी को स्वर्ण जाति के खाते दर्ज नहीं करने के आदेश आ जाने के कारण नामा0 तस्दीक नहीं हो सका। विवादित आराजी पर क्रय के बाद से अपीलान्ट के पिता तथा उनके मरने के बाद अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0 क्रम 2 ता 7 द्वारा गलत तरीके से नामा0 सं0 671 दिनांक 09.03.2022 से तस्दीक करवा लिया है। जो काबिल खारिजी है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 671 खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के [illegible] जाति का व्यक्ति स्वर्ण जाति को बेचान नहीं कर सकता है। अपीलान्ट [illegible] 0 सं0 647 दिनांक 20.12.21 को खारिज कराने हेतु मान0 न्याया0 [illegible] में अपील प्रस्तुत की जो मान0 न्याया0 द्वारा दिनांक 23.11.2022 को अपील सारहीन होने से खारिज की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

विवादित भूमि ओमप्रकाश, दीपक पुत्र शंकरलाल, शीलाबाई पत्नी स्व0 शकंरलाल, भावना पुत्री शंकरलाल पत्नी ज्योतिप्रकाश जाति मेघवाल श्रीमति लक्ष्मी पुत्री शंकरलाल पत्नी नितेश जाति मेघवाल के खातेदारी की भूमि थी। जो सुशीलाबाई पत्नी रामसागर जाति मेघवाल निवासी फूंसरा तहसील बारां को जर्ये रजि0 विक्रय पत्र से बेचान की गई थी। अपीलान्ट स्वर्ण जाति का होने के कारण क्रम नहीं कर सकता। अपीलान्ट द्वारा क्रय की गई भूमि धारा 42 बी के प्रावधानों का उल्लघन होने के कारण क्रेता का नाम उक्त आराजी में दर्ज नहीं हुआ। अपीलान्ट को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम श्यामपुरा सम्वत् 2071–74 खाता सं0 180, में बाबूलाल पुत्र बनवारी हिस्सा 1/4, सुशीलाबाई पत्नी रामसागर जाति मेघवाल हिस्सा 3/4 दर्ज रिकार्ड, नकल नामा0 सं0 671 दिनांक 09.03.2022 मुताबिक रजि0 विक्रिय पत्र के जरिये बेचान का नामा0 दर्ज होना पाया जाता है। नकल विक्रय पत्र दिनांक 27.02.69 के अनुसार बनवारी, हजारा एवं गेन्दी द्वारा रजि0 विक्रय पत्र से ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल जाति तेली को बेचान किया जाना पाया जाता है। विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। तथा क्रेता स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किया गया बेचान धारा 42 के प्रावधानों का उल्लघन होना पाया गया इसीलिए रजि0 विक्रय पत्र का नामा0 नहीं खोला गया। नकल विक्रय पत्र दिनांक 07.02.22 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रजिस्टर्ड बेचान किया है। जिसका नामा0 सं0 671 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट द्वारा मान0 न्याया0 जिला कलक्टर महोदय बारां के यहां नामा0 की अपील प्रस्तुत की गई जो मान0 न्याया0 द्वारा उक्त विक्रय पत्र धारा 42 के प्रावधानों का उल्लघंन होने के कारण खारिज की गई। अपीलान्ट को अनुसूचित जाती की भूमि क्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:24:00 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां